विचार बिन्दु

शरीर को रोगी और निर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। –लोकमान्य तिलक

सरकारी अफसर और कर्मचारी प्राय: स्वस्थ क्यों नहीं रह पाते?

आज पुन: एक ऐसे विषय पर विश्लेषण प्रस्तुत है जिस पर पूर्व में चर्चा हुई थी किन्तु नवीन शोध के प्रकाश में देखना आवश्यक है। आइये, पहले एक दृष्टांत देखते हैं। बात लगभग 900 वर्ष ईसा पूर्व की है। उत्तर भारत के सुरम्य और घने वनों में आयुर्वेद के पठन-पाठन की क्लास चल रही थी। हमेशा की तरह अग्निवेश ने अपने दिग्गज गुरु भगवान पुनर्वसु आत्रेय के सामने एक रोचक प्रश्न रखा: 'गुरु श्रेष्ठ! क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा ही बीमार रहे आते हैं?' 'बिल्कुल, अग्निवेश! ऐसे लोग जो सदैव बीमार बने रहते हैं उनमें लंबी-चौड़ी पूजा करने वाले, सरकारी कर्मचारी व अफसर, वेश्या और व्यापारी हैं।' भगवान आत्रेय का उत्तर था। ;ऐसा क्यों होता है, गुरु श्रेष्ठ, और इनकी चिकित्सा कैसे की जाये?; अग्निवेश अपनी स्वाभाविक उत्सुकता प्रगट करने से नहीं रोक पाये।

महर्षि-वैज्ञानिक पुनर्वसु आत्रेय ने इस प्रश्न का लंबा-चौड़ा उत्तर दिया है। 'सदैव बीमार रहने का कारण यह है कि पूजा-पाठ व वेदाध्ययन में लगे हुये व्यक्ति व्रत और उससे जुड़ी तमाम दैनिक क्रियाओं के कारण शरीर के हितार्थ चेष्टा नहीं करता है। सरकारी अफ़सर व कर्मचारी हमेशा ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे सरकार को खुश कर सकें, और अफसरों के अनुरोध पर उनका ध्यान रखने के कारण बाकी नौकर-चाकर बहुत चिन्तित और डरते रहने के कारण अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने ग्राहकों को प्रसन्न करने हेतु वेश्या अपने शरीर को साफ रखने, सौंदर्य प्रसाधन लगाने और आभूषणों का उपयोग करने में व्यस्त रहती है। इसलिये स्वास्थ्य के रखरखाव के लिये आवश्यक आहार-विहार का पालन करने में विफल रहती है। व्यापारी भी सदा बैठे-बैठे काम करने और बेचने-खरीदने के लालच में लगे रहने के कारण अपने शरीर के रखरखाव के लिये उपयोगी जीवन-शैली का पालन करने में विफल रहते हैं। क्योंकि ये सब (पूजा-पाठी, सरकारी अफ़सर व कर्मचारी, वेश्या और व्यापारी) सदैव आये हुये अधारणीय वेगों को रोकते रहते हैं और समय पर भोजन नहीं करते हैं। इसलिये सदैव बीमार ही रहते हैं। असल में कोई भी व्यक्ति जो असमय में मलादि का विसर्जन तथा बिगड़ी हुई जीवन-शैली का सेवन करने वाले होते हैं, वे भी सदैव रोगी होते हैं।'

उक्त सम्पूर्ण संवाद का मूल स्त्रोत यह है (च.सि.11.27-30)-- अथाग्निवेश: सततातुरान् नरान् हितं च पप्रच्छ गुरुस्तदाह च। सदाऽऽतुरा: श्रोत्रियराजसेवकास्तथैव वेश्या सह पण्यजीविभि:।। द्विजो हि वेदाध्ययनव्रताह्निकक्रियादिभिर्देहहितं न चेष्टते। नृपोपसेवी नृपचित्तरक्षणात् परानुरोधाद्बहुचिन्तनाद्भयात्।। नृचित्तवर्तिन्युपचारतत्परा मृजाभि(वि)भूषानिरता पणाङ्गना।

सदासनादत्यनुबन्धविक्रयक्रयादिलोभादपि पण्यजीविन:।। सदैव ते ह्यागतवेगनिठाहं समाचरन्ते न च कालभोजनम्। अकालनिर्हारविहारसेविनो भवन्ति येऽन्येऽपि सदाऽऽतुराश्च ते।।

सरकारी अफसर और कर्मचारी इससे क्या सन्देश लें? आइये देखते हैं।

1. सबसे पहला सन्देश तो यह है कि मन और शरीर पर ध्यान न देना सदा-बीमार रहने का पहला कारण है। अत: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सभी अन्य भावों को छोड़कर शरीर की रक्षा करनी चाहिये। शरीर के अभाव होने पर सभी भावों का अभाव हो जाता है (च.नि.6.7): सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्। तदभावे हि भावानां सर्वाभाव: शरीरिणाम्।।

स्वास्थ्य-रक्षण की प्राथमिकता का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि जनवरी 2023 तक विश्व भर में इस विषय पर 50 लाख से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। यदि निरंतर स्वास्थ्य-रक्षण आपकी प्राथमिकता में नहीं है तो आप निरंतर बीमार रहेंगे।

2. दूसरा सन्देश यह है कि निरंतर बीमार होने से बचने के लिये जीवनशैली को निरंतर हितकारी और सुखकारी रखना होगा। जीवनशैली स्वास्थ्य के लिये इतनी अहम है कि जनवरी 2023 तक इस विषय में डेढ़ लाख से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। त्रिदोष-भड़काऊ जीवनशैली का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बिगड़ी हुई जीवनशैली वात, पित्त, और कफ को प्रकुपित करते हुये अंतत: बीमार कर देती है। अत: दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन और प्रज्ञापराध और असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग से मुक्त रहना उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छल-कपट और तिकड़म से दूर रहना चाहिए अन्यथा वात, पित्त और कफ दिन-रात भड़कते रहते हैं। रोग होने के बाद भी रोगोत्पत्ति के मूल कारणों से मुक्ति न पाना निरंतर सर्वदोषप्रकोपक स्थिति ला देता है। सुखायु, हितायु और दीर्घायु के इच्छुक व्यक्ति को, निरंतर अपने को स्वास्थ्य के दुश्मनों से घिरा हुआ मानते हुये, आत्म-नियंत्रित और जितेन्द्रिय रहकर बड़ी सावधानी के साथ सतत हितकर आहार-विहार के साथ जीवन जीना चाहिये (च.सू.17.119): नित्यं सन्निहितामित्रं समीक्ष्यात्मानमात्मवान्। नित्यं युक्त: परिचरेदिच्छन्नायुरनित्वरम्।। इसी प्रकार (च.सू.5.103): नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा।

स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत्।। जिस प्रकार नगर-प्रमुख अपने नगर और एक ड्राईवर अपनी गाड़ी का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शरीर की देखभाल में हमेशा सतर्क रहना चाहिये। स्वस्थ जीवनशैली पर 6,500 शोधपत्र छपने के बाद भी आयुर्वेद के सुझाव यथावत सुदृढ़ हैं। अत: जीवनशैली दुरुस्त रखिये।

स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देना, व्यस्तता के कारण चिंतित, भयाक्रांत और तनाव में रहना, सदासन या बैठे रहने की आदत, चेष्टाद्वेष या व्यायाम से घृणा करना, अव्यायाम, अधारणीय वेगों को रोकना, कालभोजन के बजाय जब मन आये तब खाते रहना, और असमय व अनियमित आहार-विहार सेवन सदा-बीमार कर देते हैं।

3. तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधारणीय वेगों का रोकना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। मूत्र, मल, वीर्य, अपान वायु (पादना), उल्टी, छींक, डकार, जम्हाई, भूख, अश्रु, निद्रा और श्रम के बाद नि:श्वास ऐसे वेग हैं जिन्हें शरीर में कभी नहीं दबाना चाहिये (च.सू. 7.3-4): न वेगान् धारयेद्धीमाञ्जातान् मूत्रपुरीषयो:। न रेतसो न वातस्य न छर्द्या: क्षवथोर्न च।। नोद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान् क्षुत्पिपासयो:। न बाष्पस्य न निद्राया नि:श्वासस्य श्रमेण च।। तात्पर्य यह है कि ये वेग बीमारी का कारण बनते हैं, अत: इनके आते ही शरीर से निकालते रहना ही श्रेयस्कर है। यदि आप परिस्थितिवश निरंतर वेगों को दबाये रहते हैं तो निरंतर बीमार रहे आते हैं।

4. चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि दैनिक जीवन में यथाकाल भूख लगाने पर भोजन न करना या गलत समय में भोजन करने की आदत भी व्यक्ति को निरंतर बीमार किये रहती है। महर्षि कश्यप कहते हैं कि आरोग्य भोजन के अधीन होता है (काश्यपसंहिता, खि. 5.9): आरोग्यं भोजनाधीनम्। पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों को सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों, भावों और क्रियाओं को समझाते हुये भोजन के सन्दर्भ में एक रोचक सूत्र बताते हैं (च.सू.25.40): कालभोजनमारोग्यकराणां श्रेष्ठम्। तात्पर्य यह है कि नियत समय पर भोजन आरोग्य देने वालों में श्रेष्ठ है। कई सहस्त्राब्दियों बाद अब आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इस समझ की ओर बढ़ रही है कि एक निर्धारित भोजन-काल में खाना-पीना लेना-न कि एड लिबिटम या जब मन आये तब-स्वस्थ रहने के लिये सबसे उत्तम रणनीति है। इसे टाइम-रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग के नाम से जाना जाता है। इस जोखिम की जानकारी तो बहुत पहले से भारत को रही है। कम से कम 5000 साल से यह ज्ञात है कि पहले खाया भोजन पचाये बिना व भूख लगे बिना बार-बार खाते रहने की आदत अनेक गैर-संचारी रोगों की जन्मदाता है (सु.सू.46.494): हिताहितोपसंयुक्तमन्नं समशनं स्मृतम्। बहु स्तोकमकाले वा तज्ज्ञेयं विषमाशनम्।। अजीर्णे भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते।

त्रयमेतन्निहन्त्याशु बहून्व्याधीन्करोति वा।। हितकर और अहितकर भोजन को मिलाकर खाना (समशन), कभी अधिक कभी कम या कभी समय पर कभी असमय खाना (विषमाशन) या पहले खाये हुये भोजन के बिना पचे ही पुन: खाना (अध्यशन) शीघ्र ही अनेक बीमारियों को जन्म दे देते हैं। अत: सदैव भूख लगाने पर उपयुक्त समय पर भोजन लीजिये, दिन भर बार बार मत खाते रहिये। दिन में अधिक से अधिक दो बार भोजन लीजिये। सदा-बीमार रहने की स्थिति से बचे रहेंगे।

5. पांचवीं बात यह है कि सदा बैठे-बैठे काम करने से भी निरंतर बीमार रहे आने की आशंका बढ़ जाती है। इस समस्या का समाधान नियमित व्यायाम और क्रियाशील जीवन-शैली में निहित है। ऐसे कई सुख हैं जो अंतत: दु:ख देते हैं। उदाहरण के लिये (च.चि.6.4): आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसा: पयांसि। नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतु: कफकृच्च सर्वम्।। लगातार बैठे रहने का सुख लेना, खूब सोने का सुख लेना आदि ऐसे कारक हैं जो बीमारी में उलझा देते हैं। आगे भी देखिये (च.सू.23.3-5) सन्तर्पयति य: स्निग्धैर्मधुरैर्गुरुपिच्छिलै:। नवान्नैर्नवमद्यैश्च मांसैश्चानूपवारिजै:।

गोरसैर्गौडिकैश्चान्नै: पैष्टिकैश्चातिमात्रश:। चेष्टाद्वेषी दिवास्वप्नशय्यासनसुखे रत:।

रोगास्तस्योपजायन्ते सन्तर्पणनिमित्तजा:। जो लोग अत्यधिक मीठा, पचने में भारी और गरिष्ठ भोजन, नया अनाज, नई शराब, दलदली भूमि या या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जानवरों का मांस, दूध और इससे बने उत्पादों, पीठी या आटे, चीनी व गुड़ से बने खाद्य-पदार्थों की अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, शारीरिक गतिविधि से घृणा (चेष्टाद्वेषी, निष्क्रिय जीवन शैली, लम्बे समय तक बैठे-बैठे काम करना), दिन में सोना, आरामदायक बिस्तर और कुर्सियों का आनंद लेते हैं उन्हें संतर्पण-जन्य बीमारियों का भारी जोखिम रहता है। गैर-संचारी रोगों के वैश्विक बोझ का मूल स्त्रोत अहिताहार है। गुरु और स्निग्ध भोजन करने, शारीरिक व मानसिक व्यायाम न करने और ख़ूब सोने से दिल के रोग होते हैं (च.सू. 17.34): अत्यादानं गुरुस्निग्धमचिन्तनमचेष्टनम्। निद्रासुखं चाभ्यधिकं कफहृद्रोगकारणम्।। कार्यों की चिंता न करने, खूब खाने-पीने और खूब सोने से आदमी सुअर की तरह मोटा हो जाता है (च.सू. 21.34): अचिन्तनाच्च कार्याणां ध्रुवं संतर्पणेन च। स्वप्नप्रसङ्गाच्च नरो वराह इव पुष्यति।। यही सब सूत्र हैं जो स्पष्ट करते हैं कि भारत गैर-संचारी रोगों की राजधानी क्यों बनता जा रहा है।

6. कालभोजन और साथ में व्यायाम ही समस्या का समाधान है। व्यायाम से हल्कापन, कार्य करने की क्षमता, मजबूती, दु:ख सहने की क्षमता, शरीर में दोषों की साम्यता, और अग्नि में बढ़ोतरी होती है (च.सू. 7.32): लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं दु:खसहिष्णुता। दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते।।

सुश्रुत का कथन है कि (सु.चि. 24.39-40): शरीरोपचय: कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता। दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा।। श्रमक्लमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता। आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते।। अर्थात, व्यायाम करने से शरीर की पुष्टि, कान्ति, सौष्ठवपूर्ण अंग, बढ़िया भूख, आलस्य समाप्त होना, स्थिरता, हल्कापन, तथा शरीर की शुद्धि होती है। श्रम, क्लम, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने की क्षमता बढ़ती है और व्यायाम से परम आरोग्य उत्पन्न होता है।

7. अंतिम सन्देश यह है कि निरंतर चिंतित रहने वाले या निरंतर डरते रहने वाले भी सदा-बीमार हो जाते हैं अत: इनसे बचें। लोभ, शोक, भय, क्रोध, घमण्ड, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अत्यधिक जुड़ाव, दूसरे की सम्पत्ति प्राप्त करने की लालसा से एकदम दूर रहना चाहिये या इन वेगों को रोकना चाहिये (च.सू. 7.27): लोभशोकभयक्रोधमानवेगान् विधारयेत्। नैर्लज्ज्येर्ष्यातिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्।।

तात्पर्य यह है कि ये वेग, बीमारी का कारण बनते हैं, अत: इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है।

सत्त्वावयज या आत्म-नियंत्रण रखते हुये मन को अहितकारी विषयों से दूर करना ही इसका उपाय है।

स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देना, व्यस्तता के कारण चिंतित, भयाक्रांत और तनाव में रहना, सदासन या बैठे रहने की आदत, चेष्टाद्वेष या व्यायाम से घृणा करना, अव्यायाम, अधारणीय वेगों को रोकना, कालभोजन के बजाय जब मन आये तब खाते रहना, और असमय व अनियमित आहार-विहार सेवन सदा-बीमार कर देते हैं। आहार व जीवनशैली की त्रुटियों से उत्पन्न होने वाले रोग बिना त्रुटियों को सुधारे दुनिया की किसी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होते। युक्तिपूर्वक शरीर की निरंतर रक्षा करने में हिताशन, मिताशन, कालभोजन, व्यायाम, वनानुभव, निद्रा और सत्त्वावजय का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे इन पर चर्चा जारी रहेगी।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(इंडियन फारेस्ट सर्विस में वरिष्ठ अधिकारी)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

राज्यपाल के अभिभाषण के समय विधानसभा की बैठक विधिवत् बैठक क्यों नहीं?

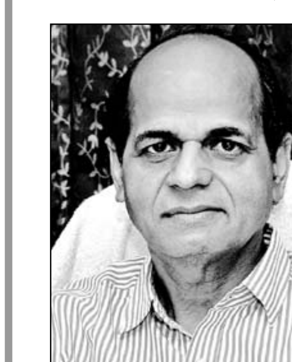

डॉ. कैलाश चन्द सैनी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र तथा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा को सम्बोधित करते हैं। इस सम्बोधनात्मक बैठक को विधानसभा की विधिवत बैठक नहीं माना जाता और संभवत: इसी कारण राज्यपाल अभिभाषण को सदन की कार्यवाही का अंग नहीं माना जाता। अभिभाषण समाप्त होने के आधा घंटे बाद जो औपचारिक बैठक होती है उसे ही विधानसभा के सत्र की पहली बैठक मानते हुए राज्यपाल अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है ताकि वह सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हो सके। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम 11 के अनुसार सदन की बैठक तभी विधिवत गठित होती है जब उसमें अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम हो।

विधान मण्डल के समक्ष राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में अटूबर, 1958 में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सभापति श्री अनन्तशयनम अयंगर ने कहा कि 'विचारणीय प्रश्न यह है कि सदस्यों की संयुक्त बैठक में उन्हें सम्बोधित करते समय राज्यपाल को स्वयं अध्यक्ष के समस्त अधिकार काम में नहीं ले लेने चाहिए और उस बैठक में व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विधानमंडल राज्यपाल और विधानमंडल के दोनों सदनों से मिलकर बनता है?

अटूबर, 1966 के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सभापति सरदार हुकम सिंह ने कहा कि अब, यह विधानमंडल की बैठक नहीं है। ... यह प्रश्न अभी भी अनिर्णीत है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवस्था कौन बनाए रखेगा, यद्यपि इसका नियमन स्वयं राज्यपाल को ही करना है क्योंकि राज्यपाल ने ही सदस्यों को बुलाया है। अध्यक्ष या सभापति उस समय कार्यवाही नहीं कर सकता। जुलाई, 1970 में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के सभापति डॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्लो ने भी कहा कि उक्त बैठक में यद्यिप शिष्टाचारवश अध्यक्ष राज्यपाल के पास बैठते हैं, नियंत्रण रखने का कार्य राज्यपाल का ही है।

उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण ही 7 मार्च, 1952 को दिया उस स्थिति में विधान सभा की पहली बैठक 4 मार्च, 1952 को हुई नहीं मानी जा सकती जब नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथठाहण किया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि नवगठित विधान सभा की प्रथम बैठक संविधान के अन्तर्गत तभी विधिवत प्रारम्भ मानी जा सकती है जब उसमें राज्यपाल ने अभिभाषण दिया हो।

दूसरा मामला राजस्थान उच्च न्यायालय का है जिसमें 26 फरवरी, 1965 को राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल द्वारा दिए जा रहे अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा बाधा पहुँचाने पर राज्यपाल द्वारा उन्हें सदन से निकलवा देने पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि राज्यपाल ने ऐसा करके अवैधानिक कार्य तो नहीं किया।

उड़ीसा न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय ने योगेन्द्र नाथ हांडा एवं अन्य बनाम राज्य के मामले में निर्णय दिया कि राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् ही विधान सभा को यह अवसर मिलता है कि वह उस पर अपनी सम्मति दे और चूँकि राज्यपाल ने अभिभाषण का अंश पढ़ दिया था और शेष को पढ़ने में असमर्थ रहे थे तो ऐसी स्थिति में भाषण पढ़ा हुआ माना जाएगा। साथ ही चूँकि प्रार्थी सदस्य स्वयं एक अनियमितता के दोषी हैं और चूँकि मामला राज्य विधानसभा के आन्तरिक नियमन का है और विशेषाधिकार समिति के सामने विचारणीय है, अत: वे इस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान विधान सभा की जिस विशेषाधिकार समिति की चर्चा की है उसके प्रतिवेदन के अनुसार विशेषाधिकार समिति की राय थी कि राज्यपाल को उनके सम्बोधन के समय ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने बाधा उपस्थित की, सदन से निष्कासित करने की शक्तियाँ एवं अधिकार थे .... राज्यपाल ने बाधा उत्पन्न करने वाले सदस्यों को निष्कासित करने में न तो अध्यक्ष की शतियों का अनधिकार ग्रहण किया और न उन्होंने सदन अथवा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन किया। इसी प्रश्न पर राय देने के लिए लोक सभा की एक समिति गठित की गई थी जिसने अप्रैल, 1972 में अपनी राय दी।

विधि मंत्रालय की राय के अनुसार राज्यपाल जब विधान मण्डल को सम्बोधित करते हैं तो वे विधानमण्डल के एक अंग रूप में होते हैं। ऐसे अवसर पर विधान सभा की तब तक कोई बैठक नहीं होती, जब तक राज्यपाल का अभिभाषण पूरा न हो जाये और सदन का नियमित कार्य प्रारम्भ न हो जाये। उस समय विधान सभा के प्रमुख के नाते अध्यक्ष द्वारा विधान सभा की अध्यक्षता करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसे उस समय की कार्यवाहियों को नियमित करने का भी कोई अधिकार नहीं है। वस्तुत: राज्यपाल ही उस कार्यवाही के अधिष्ठाता होते हैं और उन्हीं पर सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से सदन की कार्यवाहियों को संचालन करने का दायित्व है।

यही माना गया है कि जिस समय राज्यपाल विधानमण्डलों के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण देते हैं और उन्हें आहूत करने के कारण बताते हैं उस अवसर पर सदन की विधिवत बैठक नहीं होती, तथा इसी कारण अध्यक्ष को उस बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। अब चूँकि इस विषय में संविधान मूक है, अत: यह सुझाव दिया गया है कि उसमें संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि राज्यपाल ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनका नियमन करेंगे।

विचारणीय प्रश्न यह है कि संविधान या नियमों की कौन-सी ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार अध्यक्ष ऐसी बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते? यदि अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करे तब तो वह बैठक विधिवत बैठक हो सकती है। विधि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल विधान मण्डल का एक अभिन्न अंग है और वह अपने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए ही सदन में आते हैं तथा उनका अभिभाषण भी सदन के कार्य का एक भाग है, यौंकि वे राज्याध्यक्ष के नाते सदन में अभिभाषण करने आते हैं।

यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल जैसे गरिमामयी वरिष्ठ पदधारी की उपस्थिति में अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता कैसे कर सकता है। इसका निराकरण सहज सम्भव है। हमारे संविधान निर्माताओं की भी शायद यह मंशा नहीं रही होगी कि राज्याध्यक्षों के सम्बोधनों वाली बैठकों को अनौपचारिक ही बना दिया जाए या उसे बैठक ही न माना जाए। विभिन्न निकायों द्वारा दिया गया यह सुझाव कि संशोधन कर यह व्यवस्था कर दी जाय कि राज्यपाल ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करें, अव्यावहारिक प्रतीत होता है। मेरा विनम्र सुझाव है कि अध्यक्ष को ही ऐसी औपचारिक बैठकों की अध्यक्षता करनी चाहिए तथा उनमें दिये गये सम्बोधनों को कार्य विवरणों में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही नियमों में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसी बैठकों में सदस्यों द्वारा कोई व्यवधान उपस्थित नहीं किया जायेगा। इससे राज्यपाल अभिभाषण के समय सदस्यों द्वारा व्यवधान पैदा करने की प्रवत्ति पर रोक लगना संभव होगा क्योंकि ऐसे सम्बोधन के दौरान अध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता किये जाने पर व्यवधान उपस्थित होने पर उस घटना को औपचारिक तरीके से अंकित कर कार्यवाही की जा सकेगी।

राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण : राजस्थान में राज्यपाल का पद वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व वर्ष 1952 से 1956 तक राजप्रमुख श्री सवाई मानसिंह द्वारा 6 बार अभिभाषण ही दिये गये। राजस्थान विधान सभा में वर्ष 2022 तक 29 राज्यपालों ने कुल 75 अभिभाषण पढ़े हैं जिनमें प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने सर्वाधिक 8 बार अभिभाषण पढ़े। राजस्थान के 70 साल के संसदीय इतिहास में ऐसे अवसर भी आये हैं जब कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वश्री वेदपाल त्यागी (1977), के.डी. शर्मा (1982), नवरंग टिबरेवाल (1998) तथा श्रीमती प्रभा राव (2010) ने अभिभाषण दिये हैं।

अनेक बार ऐसे अवसर भी आये हैं जब राजस्थान के राज्यपाल के पद का अतिरिक्त कार्यभार किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के पास रहा है। ऐसे राज्यपालों में श्री शिवराज वी.पाटील (2011,2012) तथा श्रीमती मार्गरेट अल्वा (2013,2014) ने दो-दो बार विधान सभा के सदन में अभिभाषण पढ़े हैं। राजस्थान के अब तक के राज्यपालों में केवल दरबारा सिंह ही ऐसे राज्यपाल रहे जो विधान सभा में अभिभाषण नहीं दे पाये। इनका दिनांक 24.5.1998 को आकस्मिक रूप से निधन हो जाने के कारण ये 24 दिन ही राज्य के राज्यपाल रहे।

-डॉ. कैलाश चन्द सैनी,
पूर्व मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा

उदयपुर में 300 से ज्यादा बर्ड वॉचर्स ने पक्षियों की साईटिंग की

उदयपुर/कानोड़, (कासं)। विश्वविख्यात उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 9वें संस्करण का दूसरा दिन शनिवार बर्ड वॉचिंग के नाम रहा। इस दौरान जिले के ख्यात पक्षी विशेषज्ञों के नेतृत्व में पक्षी प्रेमियों ने बर्ड वॉचिंग की और परिंदों की रंगीन दुनिया को करीब से निहारा।

उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल के दूसरे दिन शनिवार को विविध जलाशयों पर बर्ड वॉचिंग करते पक्षी प्रेमी।

- **सूचना केन्द्र की कला दीर्घा में पक्षी फोटो गेलेरी एवं स्टाम्प प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी**
- **प्रदर्शनी में पक्षियों पर आधारित डाक टिकटों की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केन्द्र बनी**

बर्ड फेस्टिवल संयोजक व उप वन संरक्षक (वन्य जीव) अजय चित्तौड़ा ने बताया कि शनिवार को जिले व आसपास के जिलों से लगे 5 रूटों पर टीम लीडर पक्षी विशेषज्ञ देवेन्द्र मिस्त्री, विनय दवे, शरद अग्रवाल, अनिल रोर्जस, उज्जवल दाधिच ने 300 से अधिक पक्षी प्रेमियों के साथ अलग-अलग जलाशयों का दौरा किया और यहां पर न केवल पक्षियों की जल क्रीड़ाओं का लुत्फ उठाया अपितु उनकी प्रजातियों और संख्या के बारे में भी जानकारी संकलित की। इस दौरान पहले रूट पर मेनार, बड़वई व किशन करेरी, दूसरे रूट पर उदयपुर, पीलादर, मकड़शाह, चावण्ड, तीसरे रूट पर राजसमंद व गुड़ला, चौथे रूट पर उदयपुर, मंगलवाड़, नगावली, व वल्लभनगर तथा पांचवें रूट पर उदयपुर, डिन्डोली व भोपालसागर जलाशयों पर बर्ड वॉचिंग की गई। चित्तौड़ा ने बताया कि 22 जनवरी को समस्त दल प्रतिनिधि ओ.टी.सी. में आयोजित होने वाले समापन समारोह में बर्ड वॉचिंग पर अपना प्रस्तुतीकरण देंगे। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के तहत चेतक सर्कल स्थित सूचना केन्द्र की कला दीर्घा में पक्षी फोटो गेलेरी एवं स्टाम्प प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

शनिवार को भी छात्र-छात्राओं का दल यहां प्रदर्शनी को देखने पहुंचा। डाक टिकट संग्रहकर्ता पुष्पा खमेसरा ने उन्हें प्रदर्शनी का विजिट कराया। यहां प्रदर्शनी में ख्यात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स द्वारा क्लिक किये गये फोटोग्राफ्स यहां लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में पक्षियों पर आधारित डाक टिकटों की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। डाक टिकट संग्रहकर्ता पुष्पा खमेसरा ने भारत सहित विश्व के 333 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए दस हजार से अधिक डाक टिकटों तथा पक्षियों पर जारी मुद्राओं का संग्रह किया है और उनमें से कई यहां प्रदर्शित किए गए हैं।

100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण

देवली, (निसं)। यहां नगरपालिका द्वारा नवाचार करते हुए अटल उद्यान में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करवाया गया। इसका लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक हरीश चन्द्र मीणा ने किया। पालिका अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा ने जानकारी में बताया कि यह टोंक जिले में प्रथम कस्बा है। जहां पर 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विधायक मीणा ने नगरपालिका द्वारा किये गये उक्त नवाचार की प्रशंषा करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि टोंक जिले में देवली एक मात्र ऐसा कस्बा है जहां पर हमारे देश की आन-बान-शान के प्रतीक 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय का निर्माण कराया है। विधायक ने नगरपालिका मण्डल, देवली के सभी पार्षदगण एवं अधिकारी, कर्मचारियों का ध्यान ज्ञापित किया। उक्त कार्यक्रम में विधायक हरीश चन्द्र मीणा, उपखंड अधिकारी भारतभूषण गोयल पालिका अध्यक्ष नेमीचन्द जैन पंचायत समिति प्रधान गणेशराम जाट कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महादेव मीणा पालिका अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा नगरपालिका देवली सहित जनप्रतिनिधि एवं नगरपालिका स्टाफ गण उपस्थित रहे।

- **देवली जिले का पहला कस्बा है जहां 100 फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया**

राशिफल रविवार 22 जनवरी, 2023

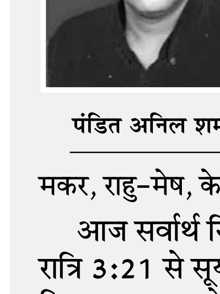

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2079, श्रवण नक्षत्र रात्रि 3:21 तक, वज्र योग दिन 10:05 तक, किस्तुघ्न करण दिन 12:25 तक, चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मकर, मंगल-वृष, बुध-धनु, गुरू-मीन, शुक्र-मकर, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और द्विपुष्कर योग, राजयोग रात्रि 3:21 से सूर्योदय तक है। आज शुक्र कुम्भ राशि में दिन 3:54 पर प्रवेश करेगा। आज से गुप्त नवरात्र आरम्भ होंगे। आज श्री बल्लभ जयन्ती है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 8:40 से 9:59 तक, लाभ-अमृत 9:54 से 12:38 तक, शुभ 1:58 से 3:17 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:56

मेष
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय के नवीन स्त्रोत सामने आयेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में परिचितों से सहयोग मिलेगा।

कन्या
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा और सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

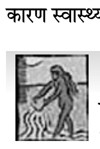

मकर
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता और योजनानुसार बनने लगेंगे। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

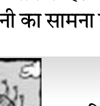

मिथुन
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

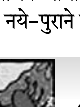

तुला
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं और नये-पुराने मित्रों से संपर्क बनेगा।

कुंभ
व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

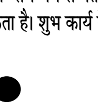

कर्क
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

मीन
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।